प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य

14. प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह बीमा कारबार और पुनर्बीमा कारबार को विनियमित, संप्रवर्तित और उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, उपांतरण करना, उसे वापस लेना, निलंबित या रद्द करना ;

(ख) पालिसी के समनुदेशन, पालिसी धारकों द्वारा नामनिर्देशन, बीमा योग्य हित, बीमा दावे का निपटारा, पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य और बीमा संविदाओं के अन्य निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करना ;

(ग) मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों और अभिकर्ताओं के लिए अपेक्षित अर्हताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना,

(घ) सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों के लिए आचार संहिता विनिर्दिष्ट करना ;

(ङ) बीमा कारबार के संचालन में कार्यकुशलता का संप्रवर्तन करना ;

(च) बीमा और पुनर्बीमा कारबार से संबंधित वृत्तिक संगठनों का संप्रवर्तन और विनियमन करना ;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीसों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण करना ;

(ज) बीमा कर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा कारबार से संबंधित अन्य संगठनों से जानकारी मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत संपरीक्षा भी है ;

(झ) उन दरों, सहूलियतों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन करना, जो साधारण बीमा कारबार की बाबत बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्थापित की जा सकेंगी और जिनका नियंत्रण और विनियमन बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64प के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया जाता है ;

(ञ) वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखाबहियां रखी जाएंगी और लेखा विवरण दिया जाएगा ;

(ट) बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के विनिधान का विनियमन करना ;

(ठ) शोधन-क्षमता की मात्रा बनाए रखने का विनियमन करना ;

(ड) बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन ;

(ढ) टैरिफ सलाहकार समिति के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना ;

(ण) खंड (च) में निर्दिष्ट वृत्तिक संगठनों के संप्रवर्तन और विनियमन की स्कीमों का वित्तपोषण करने के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना ;

(त) बीमाकर्ता द्वारा ग्रामीण या सामाजिक सेक्टर में किए जाने वाले जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना ;

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो विहित की जाएं ।